

**अनुदान संख्या 9 - नागर विमानन मंत्रालय**  
**GRANT No. 9-MINISTRY OF CIVIL AVIATION**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	268,54,00		
पूरक	Supplementary	129,37,00	397,91,00	394,13,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-3,77,85
				3,29,68
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-		365,00,00	363,18,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-1,81,38
				1,56,84

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '3053'	Major Head "3053"			
नागर विमानन	Civil Aviation			
मू.	O.	25958.00		
पू.	S.	12937.00	38510.45	38468.76
पु.	R.	-384.55		-41.69

(I) 112.00 लाख रु. प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.112.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) "सामान्य - अन्य व्यय - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान" के अंतर्गत 154.36 लाख रु. की बचत (765.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under "General - Other Expenditure - Grants-in-aid to Indira Gandhi Rastriya Uran Academy" - saving of Rs.154.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.765.00 lakhs) was due to non-finalisation of projects.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष '4552' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	708.00	..	..
पु.	R.	-708.00	..	..
मुख्य शीर्ष '5053' नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation			
मू.	O.	34292.00	34543.16	34518.62
पु.	R.	251.16		-24.54
मुख्य शीर्ष '7053' नागर विमानन के लिए कर्ज	Major Head "7053" Loans for Civil Aviation			
मू.	O.	1500.00	1800.00	1800.00
पु.	R.	300.00		..

(I) 808.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 708.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष '4552' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.808.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.708.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष '5053' - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head "5053" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) “अनुसंधान और विकास - नागर विमानन महानिदेशालय”- 253.56 लाख रु. की बचत (345.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय - नागर विमानन सुरक्षा” के अंतर्गत 409.13 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागर विमानन सुरक्षा अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और परियोजना को कार्यान्वयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ‘5053’ - “विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्रों के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)”- 1008.00 लाख रु. का अधिक व्यय (792.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ‘4552’ से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और साथ ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग) को बजटीय सहायता जारी किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष ‘7053’ - “सार्वजनिक क्षेत्रों के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)”- 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा समर्थित स्कीमों पर अधिक व्यय होने की वजह से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बजटीय सहायता जारी किए जाने के कारण हुआ।

(A) “Research and Development - Directorate General of Civil Aviation” - saving of Rs.253.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.345.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(B) “Other Expenditure - Civil Aviation Security” - saving of Rs.409.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-finalisation of the proposal for setting up of Civil Aviation Security Academy and entrustment of the project to Airports Authority of India for implementation.

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “5053”-“Airports-Investment in Public Sector and other Undertakings- Airports Authority of India (National Airports Division)”- excess of Rs.1008.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.792.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of release of budgetary support to Airports Authority of India (National Airport Division).

(II) Major Head “7053” - “Loans to Public Sector and Other Undertakings - Airports Authority of India ( National Airports Division)”- excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to release of budgetary support to Airports Authority of India owing to higher expenditure on schemes supported by Government.